रेड रिबन क्लब

हेतु

संकल्पना पत्र

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-म.प्र. शासन)

द्वितीय तल,तिलहन संघ भवन,१ अरेरा हिल,भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन-४६२०११

रेड रिबन क्लब (आर.आर.सी.) का गठन

युवाओं के साथ काम करने की आवश्यकता क्यों?

रेड रिबन क्लब युवाओं का युवाओं द्वारा युवाओं के लिए संचालित एक अनौपचारिक क्लब है, जिसमें युवा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा की जा सके। यह एक ऐसा मंच होगा जहां युवा मन एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सचेत होगा। क्योंकि युवाओं में एक जोश होता है, उत्साह होता है, वह नए–नए प्रयोग करते हैं, रोमांचित जीवन जीने के लिए तत्पर रहते हैं अतः इस रोमांचकारी जीवन में समय–समय पर संभावित खतरों की संभावना भी होती है।

इतना ही नहीं, युवा अवस्था जीवन का एक अहम पढ़ाव होता है जिसमें कई तरह के शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं। इसी अवस्था में युवा पीढ़ी के अपने सपने और माता–पिता के अरमान जुड़े होते हैं। यही वह समय होता है जब हम जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर अपने आदर्शों के अनुरूप जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं।

युवा पीढ़ी जहां शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे पायदानों पर पहुंचकर विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपना नाम रौशन कर रही है वहीं यह आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखे। अपने साथी के प्रति सम्मान की भावना पैदा करें तथा जीवन में उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को अपनाएं।

प्रदेश में उपलब्ध एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण के आंकड़े बताते हैं कि युवा पीढी का एक बड़ा प्रतिशत एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण से ग्रसित है जो कि निश्चित ही बड़ी दुखद स्थिति है। आजकल 25 से 44 वर्ष की आयु में होने वाली मृत्यों का एक प्रमुख कारण भी एच. आई.वी./एड्स ही है।

एड्स का कोई टीका न होने के कारण ''**शिक्षा का टीका**'' ही एक ऐसी सामाजिक दवा है जिसके द्वारा नये संक्रमण या प्रभावित व्यक्तियों की संख्या को रोका जा सकता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा युवा पीढ़ी को एच. आई.वी./एड्स के संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2006–2007 में राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में 700 रेड रिबन क्लब गठित किए गए। इस वर्ष 2008–2009 में 1287 रेड रिबन क्लब गठित रने का लक्ष्य है।

स्वस्थ मित्रता को निभाने का आवहन करेगा, यह रेड रिबन क्लब :

- रेड रिबन एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो कि एच.आई.वी./एड्स के विरूद्ध संघर्षरत लोगों की एकता को दर्शाता है।
- रेड रिबन यानि एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के प्रति हमारे सहृदयता एवं स्नेह का प्रतीक है।
- रेड रिबन उस पीड़ा का प्रतीक है जो कि एक एड्स संक्रमित व्यक्ति ने भोगी है।
- रेड रिबन यानि हमारा क्रोध, हमारा आक्रोश उस असहाय अवस्था के प्रति जिसमें हम एक ऐसे संक्रमण से लड़ रहे हैं जिसका अभी उपचार नहीं है।
- रेड रिबन हम सभी के लिए एक चेतावनी है जो हमें आगाह करती है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में हम, इस समस्या के प्रति लापरवाह या अनजान न बने रहें।

रेड रिबन क्लब (आर.आर.सी.) की भूमिका

शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में रेड रिबन क्लब (आर.आर.सी.) निम्न रूप से पहल करेगाः

- युवाओं को एच.आई.वी./एड्स, यौन रोग, यौन जीवन तथा उससे संबंधित मुद्दों पर सही व पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हुए उनके मन में व्याप्त भ्रान्तियों व गलत धारणाओं को दूर करेगा।
- युवाओं को (खासकर लड़कियों को) इस योग्य बनाना कि वह उन सब परिस्थितियों की पहचान कर सकें जहां उनका शोषण हो सकता है।
- युवाओं को इतना संवेदनशील बनाना कि वह एच.आई.वी. ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सामाज में विद्यमान भेद–भाव को समझ सकें और उन व्यक्तियों की सहायता व ज़रूरी देखभाल करते हुए सामाज में व्याप्त भेद–भाव को दूर करने में पहल करें।
- यौन रोग/एच.आई.वी./एड्स/नशे को रोकने से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं तक युवाओं की पहुँच को बढ़ाना।
- देश के युवाओं, सरकारी, गैर सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के बीच एक कड़ी का निर्माण करना ताकि वह एक सुरक्षित स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।
- स्वैच्छिक रक्तदान शिवरों का आयोजन करना और युवाओं को वहां स्वेच्छा से रक्तदान करने हेतु प्रेरित करना।
- युवाओं के बीच पीयर एजुकेटर्स (साथी) का एक समूह तैयार करना और उनके द्वारा युवाओं को सुरक्षित स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे क्लब भविष्य में भी विद्यमान रहें।

आर.आर.सी.
राज्य स्तरीय ढाँचा

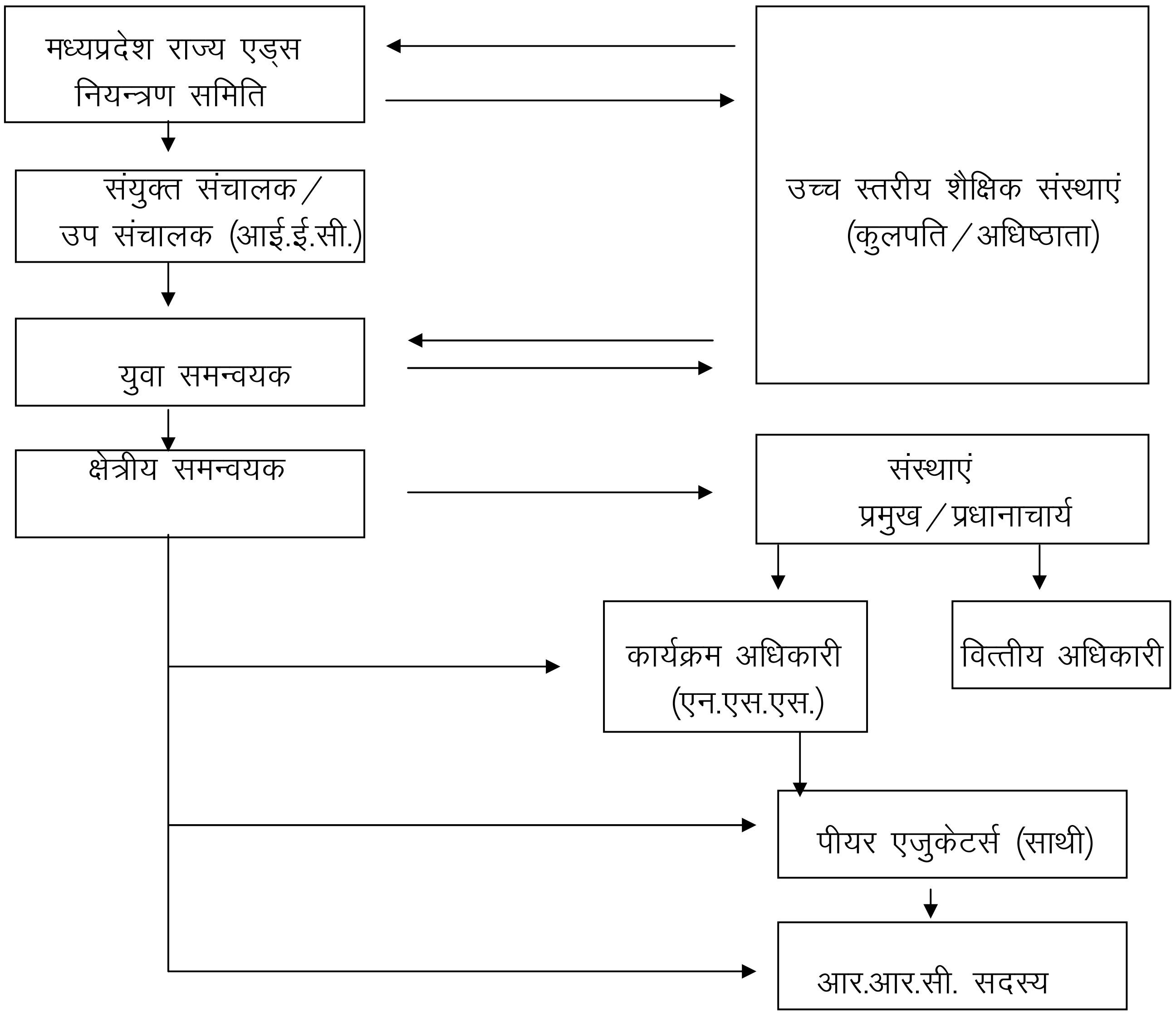

विभिन्न स्तरों पर कार्य तथा भूमिकाएं

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति में उच्च स्तरीय आई.ई.सी. अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी कि वह आर.आर.सी. की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करवाएं। आई.ई.सी. अधिकारी की निम्न भूमिकाएं होंगी :

- आर.आर.सी. से संबंधित गतिविधियों के विषय में परियोजना अधिकारी को अवगत कराना।
- राज्य में आर.आर.सी. के गठन हेतु सभी स्तरों पर आपसी संचार कराना।
- राज्य स्तर पर आर.आर.सी. से संबंधित गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाना।

- यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम के लिए धनराशि समय से भेजी जाए व उसका सही उपयोग हो।
- आर.आर.सी. से संबंधित विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण में टेक्निकल जानकारी प्रदान करना।
- सरल व साधारण सूचना, शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.)/व्यवहार परिवर्तन (बी.सी.सी.) सामग्री तैयार कराना व आर.आर.सी. हेतु मण्डलीय समन्वयक व वित्तीय अधिकारी को प्रदान करना।
- मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति की समाचार पत्रिका व वेबसाइट की सहायता से मास मीडिया द्वारा आर.आर.सी. का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।
- राज्य की वार्षिक व आई.ई.सी. कार्य योजना में आर.आर.सी. की गतिविधियां सम्मिलित करना।

युवा समन्यक

आर.आर.सी. के निर्माण सहित वह मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति में राज्य स्तरीय युवा गतिविधियों हेतु ज़िम्मेदार होंगे।

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन **(NACO)** के रेड रिबन क्लब (आर.आर.सी.) दिशानिर्देशों अनुसार आर.आर.सी. के निर्माण हेतु रणनीति तैयार करना।
- राज्य व विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विभागों में गठजोड़ स्थापित करवाना।
- आर.आर.सी. कार्यक्रम हेतु मण्डलीय समन्वयकों को नियुक्त करना।
- राज्य में आर.आर.सी. हेतु निर्धारित वित्तीय सहायता का समय समय पर निरीक्षण करना।
- आर.आर.सी. के सदस्यों (मण्डलीय समन्वयक व कार्यक्रम अधिकारी) की क्षमता निर्माण में मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति को सहयोग करना।
- मास मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार तथा आर.आर.सी. हेतु संदर्भ सामग्री के निर्माण व वितरण के लिए मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के आई.ई.सी. विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना तथा उनका सहयोग करना।
- समस्त कार्यक्रम की योजना तैयार करना जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का समावेश हो। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं व शैक्षिक मनोरंजक कार्यक्रमों का संचालन कराना ।
- आर.आर.सी. कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करते हुए समय समय पर उसका निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट तैयार करना।

क्षेत्रीय समन्वयक

विश्वविद्यालय से संबंधित 5 से 6 ज़िलों में आर.आर.सी. गतिविधियों के संचालन हेतु प्रमुख नोडल व्यक्ति के रूप में नामांकित।

- निर्धारित मण्डल में सम्पूर्ण समन्वय, योजना, पर्यवेक्षण व विश्वविद्यालय/डायरेक्टरेट में आर.आर.सी. के क्रियान्वयन और प्रबन्धन की ज़िम्मेदारी।
- निर्धारित ज़िलों के स्कूलों/शैक्षिक संस्थाओं में आर.आर.सी. के गठन को संचालित करना तथा सहयोग प्रदान करना।
- आर.आर.सी. के निर्माण हेतु संस्थाओं में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।
- आर.आर.सी. की गतिविधियों के संचालन हेतु सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं तथा एच.आई.वी. ग्रसित व्यक्तियों के समूह के साथ समन्वय स्थापित करना।
- अपने क्षेत्र के आर.आर.सी. की एक डायरेक्टरी तैयार करना।
- आर.आर.सी. के सदस्य व पीयर एजुकेटर्स को युवाओं से संबंधित मुद्दों पर संदर्भ व्यक्ति के रूप में सहभागितापूर्ण पद्धतियों द्वारा तकनीकि जानकारी प्रदान करना।
- आर.आर.सी. को आई.ई.सी. सामग्री प्रदान करवाना तथा नई सामग्री (नाटक, गीत, पोस्टर, नारे इत्यादि) के निर्माण हेतु आर.आर.सी. सदस्यों को सहयोग करना और मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के साथ इसे बाटना।
- प्रभावशाली योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा निरीक्षण हेतु वित्तीय अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी व आर.आर.सी. सदस्यों को सहयोगात्मक सुपरविज़न प्रदान करना।
- गतिविधियों को मज़बूत बनाने तथा सुचारू रूप से उनको क्रियान्वित करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के आई.ई.सी. अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- आई.ई.सी. सामग्री, दस्तावेजीकरण व आर.आर.सी. से संबंधित संदर्भ सामग्री के प्रकाशन में योगदान देने हेतु युवा समन्वयक को सहयोग प्रदान करना।
- कार्यक्रम अधिकारियों व पीयर एजुकेटर्स हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन करना तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित करना।
- क्षेत्र में आर.आर.सी. हेतु वित्तीय व अन्य संसाधनों को जुटाना और विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कराना जैसे कि युवा संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, स्टेकहोल्डर्स, एच. आई.वी. के साथ जी रहे व्यक्तियों का संगठन, आई.सी.टी.सी., ब्लड बैंक, मीडिया इत्यादि।
- आर.आर.सी. से संबंधित रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य स्तर पर युवा समन्वयक को प्रेषित करना।

विश्वविद्यालय/संस्थाएं/कालेज के अधिकारी

हालांकि यह संस्थाएं आर.आर.सी. गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पहचान दिलाकर अपने वार्षिक कैलण्डर में सम्मिलित तो करेंगी ही साथ ही साथ उनकी मुख्य भूमिका होंगीः

- विभिन्न स्तरों की समितियों में सक्रिय सहभागिता।
- आर.आर.सी. के गठन व गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- आर.आर.सी. हेतु संस्था के एक अध्यापक/एन.एस.एस. समन्वयक को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मनोनीत करना।
- एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम की मुख्यधारा को विश्वविद्यालय/संस्थाओं के साथ जोड़ने हेतु उनके कार्यक्रमों में इनका समावेश कराना।
- कार्यक्रम के स्थायित्व हेतु उच्च स्तरीय पैरवी करना।
- कालेज की पत्रिका व अन्य प्रकाशनों में आर.आर.सी. के सदस्यों के योगदान को प्रकाशित कर उनको प्रोत्साहित करना।

कार्यक्रम अधिकारी

यह अधिकारी उस संस्था के अध्यापक हैं जो कि एन.एस.एस. कार्यक्रम समन्वयक के रूप में मनोनीत हैं। इन अधिकारियों को आर.आर.सी. में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिन संस्थाओं में एन.एस.एस. मौजूद नहीं है वहां पर उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि वह एक अध्यापक को इस श्रेणी में मनोनीत करें। कार्यक्रम अधिकारी, मण्डलीय समन्वयक के साथ मिलकर काम करेगें । यह लोग आर.आर.सी. में स्वैच्छिक रूप से कार्यरत लोगों के माध्यम से संस्थाओं में आर.आर.सी. सदस्यों व अन्य युवाओं तक अपनी पहुँच बनाएंगे।

आर.आर.सी. सदस्य

कालेज /संस्थाओं के वह युवा जो कि 15 से 29 वर्ष के बीच के हों और आर.आर.सी. में पंजीकृत हों।

- एच.आई.वी./एड्स, स्वैच्छिक रक्तदान और इनसे संबंधित मुद्दों पर अन्य सभी साथियों को विस्तृत जानकारी देना।
- क्लब की गतिविधियों हेतु संसाधन जुटाना।
- व्यवहार परिवर्तन (बी.सी.सी.) हेतु नवीन सामग्री तैयार करवाना जैसे कि – नारे, पोस्टर, लोगो, हैण्डबिल संदेश, गीत, नाटक इत्यादि।
- कालेज/संस्था के परिसर व उसके बाहर भी प्रतियोगिताओं व सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी।
- संस्था से जुड़े नये लोगों को क्लब के उद्देश्य व गतिविधियों से अवगत कराना तथा क्लब के स्थायित्व हेतु योगदान देना।

- युवाओं के बीच एच.आई.वी./एड्स के खतरों पर बातचीत करने हेतु नेतृत्व क्षमता व जीवन कौशल के विकास के साथ पीयर एजुकेटर के रूप में कार्य करना।
- स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना तथा रक्तदान में सक्रिय भागीदारी।
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में युवाओं को बताना।

आर.आर.सी. की गतिविधियां

- विद्यार्थियों में से ही पीयर एजुकेटर तैयार करना जिसमें छात्र/छात्राओं की संख्या में बराबरी हो।
- एच.आई.वी./एड्स, जेण्डर, नशा इत्यादि पर जागरूकता/सत्र/वाद–विवाद/प्रतियोगितायें – पोस्टर, नारे,/सेमिनार/प्रदर्शनी/रैली/समारोह, स्वैच्छिक रक्तदान।
- पीयर एजुकेटर्स हेतु प्रशिक्षण।
- रक्तदान शिविरों का आयोजन।
- संस्थाओं में विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम।
- सामाजिक भेदभाव पर एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के संगठन द्वारा उनके विचार। एच.आई.वी./एड्स, विद्यमान भ्रान्ति व गलत धारणाओं इत्यादि पर जानकारी प्रदान करना।
- क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा रक्तदान करने वालों की ज़िला वार एक डायरेक्टरी तैयार करना।
- एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र (आई.सी.टी.सी.), कम्युनिटी केयर सेन्टर (सी.सी.सी.), ड्राप–इन सेन्टर, ब्लड बैंक और अन्य एच.आई.वी./एड्स की सहयोगी संस्थाओं पर एक एक्सपोजर विज़िट।
- निम्न गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है :
    - सामाजिक गोष्ठियां (पब्लिक मीटिंग)
    - विश्वविद्यालयों में आपस में व विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ही प्रतियोगिताएं
    - सांस्कृतिक कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक इत्यादि)
    - विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाना
    - कालेज परिसर की दीवार, सूचना पठ, पत्र पेटिका पर दीवार लेखन
    - कैण्डल रैली
    - स्थानीय केबल का उपयोग (वार्ता, चर्चा, फोन–इन इत्यादि कार्यक्रमों का प्रसारण)
    - महाविद्यालयीन पत्रिका तथा मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के न्यूज़लेटर (लेख आर.आर.सी. द्वारा प्रेषित किये जाने चाहिए)
    - विभिन्न क्षेत्रों के नवीन लोगों का अभिमुखीकरण
    - महाविद्यालयों में समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में एच.आई.वी./एड्स पर विज्ञापन, आडियो–विजुअल, पोस्टर पैनल, स्टाल इत्यादि।